प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून।

आदेश संख्या–सेवा–3(4)/ 523 /2014–15 दिनांक 21/ फरवरी,2015

कार्यालय आदेश

निदेशालय के आदेश सं0–सेवायें–3(4)/84/2014–15 दिनांक 26 मई,2014 एवं आदेश सं0–सेवायें–3(4)/272/2014–15 दिनांक 03 सितम्बर, 2014 द्वारा वरिष्ठ सहायकों को प्रधान सहायक के पदों पर पदोन्नति प्रदान की गई थी। यह देखने में आया है कि बड़ी संख्या में सम्बन्धित वरिष्ठ सहायकों द्वारा पदोन्नति स्थानों पर कार्यभार ग्रहण न कर पदोन्नति संशोधन हेतु निरन्तर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जा रहे है।

सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि यदि पदोन्नत कार्मिक अपने पूर्व पदोन्नत स्थानों पर कार्यभार ग्रहण करना चाहते हों, और वहां पर पद रिक्त हो, तो वे अपने तैनाती के कार्यस्थल पर दिनांक 04 मार्च, 2015 तक कार्यभार ग्रहण कर लें। इसके बाद किसी भी प्रकार के पत्र/प्रत्यावेदन पर विचार करना संभव नहीं होगा एवं की गई पदोन्नतियां स्वतः निरस्त मानी जाएगी। इस हेतु अलग से आदेश निर्गत नहीं किए जाएगें।

21/2/15
(सीमा जौनसारी)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0– सेवा–3(4)/22694–705 /2014–15 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड देहरादून।
4. अपर निदेशक, (प्रा.शि./मा.शि.) गढवाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
5. अपर निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद,रामनगर नैनीताल।
7. मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
8. सम्बन्धित प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखण्ड।
9. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि./मा.शि.) सम्बन्धित जनपद उत्तराखण्ड।
10. सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/संस्थाध्यक्ष (द्वारा सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से प्रेषित कि यदि पदोन्नत कार्मिक अपने पूर्व पदोन्नत स्थानो पर ही कार्यभार ग्रहण करना चाहते हों तो 04 मार्च,2015 तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। यदि किसी कार्मिक द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उसकी पदोन्नति स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
11. अध्यक्ष/महामंत्री, एंजूकेशनल मिनिस्ट्रियल आफिसर्स एसोसिएशन उत्तराखण्ड।
12. कार्यालय आदेश पुस्तिका।

(राजेन्द्र सिंह रावत)
उप निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।